

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)  
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 13 / 2024

GCMS NO. : 2024 / 72

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय  
अन्दर की खबर समाचार पत्र, बनाम  
घंटाघर के पास, त्रिपोलिया  
रोड, बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना  
अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 25-10-2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 02.09.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366904) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा प्रश्नगत सूचना बताते हुये सूचना देने से इन्कार किया है। जिससे अप्रसन्न, असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।



  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 09.10.2024 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

आज दिनांक 25.10.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी ने पत्रांक न्याय/ आरटीआई/ 2024/ 637 दिनांक 23.10.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 से वांछित सूचना प्रश्नगत होने से दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1529 दिनांक 24.09.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजी दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 02.09.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366904) से 2 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। बिन्दु सं. 1 व 2 का अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रतित नहीं हाती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय में रेकार्ड उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना का अधिकार

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलेक्टर, बांसवाडा (राज.)

अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावे।  
निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-10-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.  
लोक सूचना अपील प्रधिकारी,  
जिला कलक्टर, बंसवाडा (राज.)  
जिला कलक्टर, बंसवाडा (राज.)